सामाजिक विज्ञान

(नागरिक शास्त्र)

अध्याय-8: हाशियाकरण से निपटना

SHIVOM CLASSES 8696608541

दलील

आज हमारे देश के आदिवासी, दलित, मुसलमान, औरतें एवं अन्य हाशियाई समूह यह दलील दी रहे हैं कि एक लोकतांत्रिक देश का नागरिक होने के नाते उन्हें भी बराबर के अधिकार मिलना चाहिए और उनके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए।

मौलिक अधिकारों का उपयोग :- यह हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये अधिकार सभी को भारतीयों को समान रूप से उपलब्ध होते कानून के समक्ष समता।

- अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण।
- प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण।
- प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार।
- कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ संरक्षण।
- बलात् श्रम एवं अवैध मानव व्यापार के विरुद्ध प्रतिषेध।

SHIVOM CLASSES 8696608541

हाशियाई तबकों के अधिकार

SHIVOM CLASSES - WhatsApp for Notes (8696608541)

पहला :- अपने मौलिक अधिकारों पर ज़ोर देकर उन्होंने सरकार को अपने साथ हुए अन्याय पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया है।

दूसरा :- उन्होंने इस बात के लिए दबाव डाला है कि सरकार इन कानूनों को लागू करें।

तीसरा :- कई बार हाशियाई तबकों के संघर्ष की वजह से ही सरकार को मौलिक अधिकारों की भावना के अनुरूप नए कानून बनाने पड़े हैं।

संविधान में

अनुच्छेद 17 – अस्पृश्यता या छुआछूत का उन्मूलन किया जा चुका है।

अनुच्छेद 15 – किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नही किया जाएगा।

अल्पसंख्यक ने भी संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का सहारा लिया है।

हाशियाई तबकों के लिए कानून :- हमारे देश मे हाशियाई तबकों के लिए खास कानून और नीतियाँ बनाई गई हैं।

सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन :- इलाकों में विशेष प्रकार की योजनाएँ लागू करती हैं।जैसे :- मुक्त छात्रावास, मुक्त शिक्षा आदि

आरक्षण :- शिक्षा संस्थानों और सरकारी नौकरियों में दलितों व आदिवासियों के लिए सीटों का आरक्षण का कानून एक महत्वपूर्ण तर्क पर आधारित है।

- भारत में आरक्षण व्यवस्था लोगों को जातिगत होनी चाहिये आर्थिक आधार पर नाही चाहिए जब सरकार को लोगों के अंदर से जातिवाद को निकलना होगा क्यूँ की भारत में सदियो से जाती के नाम से ही भेदभाव होता है इसलिये जिन लोगो जात के नाम पर अलग रखा जाता है और उनके साथ अलग बरतव रखते है यह बंद करणे के लिए अरकशन होना चाहिये यदि लोगों को आर्धिक आधार पर आरक्षण दिया जाता है तो सबी लोग घर बैठकर मेहनत न

SHIVOM CLASSES - WhatsApp for Notes (8696608541)

करके घर पर बैठा रहेंगे आर्थिक गरीब होना हमारे हात मे है लेकीन जाती की वजह से ये लोग करना ये देश को बरबदकरते है सबको एक साथ रखने के के लिये सबको बराबर रखने के लिये आरक्षण चाहिए

आरक्षण नीति :- अनुसूचित जाति (या दलितों) अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी व अतिपिछड़ी जातियों की अपनी अपनी सूचियाँ हैं। कॉलेज, नौकरी, संस्थानों में आरक्षण मिलता है।

हाशियाई तबकों के अधिकारों की रक्षा :- दलितों और आदिवासी समुदाय को भेदभाव और शोषण बसे बचाने के लिए नीतियों के अलावा हमारे देश में कई कानून भी बनाए गए हैं।

अधिनियम 1989 :- सामान्य बोलचाल की भाषा में यह अधिनियम अत्याचार निवारण या अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम कहलाता है। यह अनुसूचित जातियों और जनजातियों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ़ अपराधों को दंडित करता है। यह पीड़ितों को विशेष सुरक्षा और अधिकार देता है।

पहला :– शारीरिक रूप से खौफ़नाक और नैतिक रूप से निंदनीय अपमान के स्वरूपों की सूची दी गई है।

दूसरा :- इसमें ऐसे कृत्यों की सूची भी है जिसके जरिए दलितों और आदिवासियों को उनके संसाधनों से वंचित नही किया जायेगा।

SHIVOM CLASSES 8696608541

SHIVOM CLASSES - WhatsApp for Notes (8696608541)

तीसरा :– अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की किसी भी महिला का अपमान या शोषण नही कर सकते हैं।

हाशियाई तबकों की माँगे

1989 का अधिनियम एक और वज़ह से महत्वपूर्ण है।

1. जमीन पर कब्जा करने पर कानून का सहारा ले सकते हैं।
2. विस्थापन करने पर मुआवजा दिया गया।
3. विस्थापितों को पुनर्वास और खर्चा दिया गया।
4. संवैधानिक रूप से आदिवासियों की जमीन को किसी गैर-आदिवासी व्यक्ति को नही बेचा जा सकता।
5. आदिवासीयों के संवैधानिक कानूनों का उल्लंघन करने वालों में विभिन्न प्रदेशों की सरकारें भी पीछे नहीं है।

SHIVOM CLASSES 8696608541

SHIVOM CLASSES - WhatsApp for Notes (8696608541)

NCERT SOLUTIONS

प्रश्न (पृष्ठ संख्या 103)

प्रश्न 1 दो ऐसे मौलिक अधिकार बताइए जिनका दलित समुदाय प्रतिष्ठापूर्ण और समतापरक व्यवहार पर जोर देने के लिए इस्तेमाल कर सकते है। इस सवाल का जवाब देने के लिए पृष्ठ 14 पर दिए गए मौलिक अधिकारों को दोबारा पढ़िए।

उत्तर – मौलिक अधिकार का खंड भारतीय संविधान की आत्मा कहलाता है। भारतीय संविधान सभी नागरिकों को समान रूप से छः प्रकार के अधिकार प्रदान करता है। लेकिन दलित समुदाय प्रतिष्ठापूर्ण और समतापरक व्यवहार पर जोर देने के लिए समानता तथा शोषण के विरुद्ध अधिकार का इस्तेमाल कर सकते है :- समानता का अधिकार- समानता के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 तक में किया गया है। अनुच्छेद 14 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता तथा कानून के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा। कानून के सामने सभी बराबर हैं और कोई कानून से ऊपर नहीं है। अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। सरकारी पदों पर नियुक्तियां करते समय जाति, धर्म, वंश, रंग, लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। सभी नागरिकों को सभी सार्वजनिक स्थानों का प्रयोग करने का समान अधिकार है। छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है। सेना शिक्षा संबंधी उपाधियों को छोड़ कर अन्य सभी उपाधियों को समाप्त कर दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार – संविधान की धारा 23 और 24 के अनुसार नागरिकों को शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए गए हैं। इस अधिकार के अनुसार व्यक्तियों को बेचा या खरीदा नहीं जा सकता। किसी भी व्यक्ति से बेगार नहीं ली जा सकती। किसी भी व्यक्ति की आर्थिक दशा से अनुचित लाभ नहीं उठाया जा सकता और कोई काम उसकी इच्छा के विरुद्ध करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को ऐसे कारखाने में नौकर नहीं रखा जा सकता, जहां उसके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ने की संभावना हो।

प्रश्न 2 रत्नम की कहानी और 1989 के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रावधानों को दोबारा पढ़िए। अब एक कारण बताइए कि रत्नम ने इसी कानून के तहत शिकायत क्यों दर्ज कराई।

SHIVOM CLASSES 8696608541

SHIVOM CLASSES - WhatsApp for Notes (8696608541)

उत्तर – समाज में जो दबे हुए व्यक्ति होते है या पिछड़े और कमज़ोर लोग है हमेशा से ही उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। उन्हें सदा तुच्छ भावना से देखा जाता है। उनको अपमानित किया जाता है। ताकि लोगों के साथ किसी भी अवस्था में बुरा व्यवहार ना हो इसीलिए 1989 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम लागू किया गया था। इसका उद्देश्य यही था जिनके साथ बुरा व्यवहार हो, जिन्हें प्रताड़ित किया जाए उनके विरुद्ध कार्यवाही होगी। उन्हें सज़ा दी जाएगी। रत्नम भी इसी जाति से सम्बन्धित रखता था। उसने पुजारियों के पैर धोने तथा उसी पानी से नहाने के लिए मना कर दिया था। इससे ऊँची जाति के लोग क्रोधित हो गए थे। ऊँची जाति के लोगों ने रत्नम और उसके परिवार का बहिष्कार करने का आदेश दिया। उनके घर आग भी लगाई लेकिन वे बच गए। इसके बाद उन्होंने 1989 के एक्ट के अंतर्गत पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करवाया। उन्हें समर्थन भी मिला और अब इस रस्म को समाप्त कर दिया गया है।

प्रश्न 3 सी.के. जानू और अन्य आदिवासी कार्यकर्ताओं को ऐसा क्यों लगता है कि आदिवासी अपने परंपरागत संसाधनों के छीने जाने के ख़िलाफ़ 1989 के इस कानून का इस्तेमाल कर सकते हैं ? इस कानून के प्रावधानों में ऐसा क्या खास है जो उनकी मान्यता को पुष्ट करता है ?

उत्तर – 1989 का अधिनियम एक और वजह से महत्वपूर्ण है। आदिवासी कार्यकर्ता अपनी परंपरागत जमीन पर अपने कब्जे की बहाली के लिए इस कानून का सहारा लेते हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिन लोगों ने आदिवासियों की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। उन्हें इसी कानून के तहत सजा दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह कानून भी जीने जनजातीय समुदायों को केवल वही लाभ देता है जिनका संविधान में आश्वासन दिया गया था। उनका कहना है कि संवैधानिक रूप से आदिवासियों की जमीन को किसी गैर–आदिवासी व्यक्ति को नहीं बेचा जा सकता। जहाँ ऐसा हुआ है वहाँ संविधान की गरिमा बनाए रखने के लिए उन्हें उनकी ज़मीन वापस मिलनी चाहिए। आदिवासी कार्यकर्ता सी.के. जानू का आरोप है कि आदिवासियों के संवैधानिक कानूनों का उल्लंघन करने वालों में विभिन्न प्रदेशों की सरकारें भी पीछे नहीं हैं।

प्रश्न 4 इस इकाई में दी गई कविताएँ और गीत इस बात का उदाहरण हैं कि विभिन्न व्यक्ति और समुदाय अपनी सोच, गुस्से और अपने दुखों को किस – किस तरह से अभिव्यक्त करते हैं। अपनी कक्षा में ये दो कार्य कीजिए :-

SHIVOM CLASSES 8696608541

SHIVOM CLASSES - WhatsApp for Notes (8696608541)

1. एक ऐसी कविता खोजिए जिसमें किसी सामाजिक मुद्दे की चर्चा की गई है। उसे अपने सहपाठियों के सामने पेश कीजिए। दो या अधिक कविताएँ लेकर छोटे – छोटे समूहों में बँट जाइए और उन कविताओं पर चर्चा कीजिए। देखें कि कवि ने क्या कहने का प्रयास किया है।
2. अपने इलाके में किसी एक हाशियाई समुदाय का पता लगाइए। मान लीजिए कि आप उस समुदाय के सदस्य हैं। अब इस समुदाय के सदस्य की हैसियत से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कोई कविता या गीत लिखिए या पोस्टर आदि बनाइए।

उत्तर –

1.

ना जाने यह कैसा जमाना आ रहा है
बाप बेटे का रिश्ता पहले जैसा ना रहा है

जिसने गोद में पाला उसका मान ना रहा है
बेटा उनको बोझ समझ रहा है यहां रिश्ता ना कोई रहा है
बस पैसे से ही रिश्ता रहा है
यहां रिश्ता ना कोई रहा है
बस पैसे से ही रिश्ता रहा है
ना जाने यह कैसा जमाना आ रहा है
बाप बेटे का रिश्ता पहले जैसा ना रहा है

भाई से प्यारी घरवाली हो गई है
भाई भाई का दुश्मन हो गया है
ना कोई इज्जत है ना शर्म हया है
यहां तो रिश्तों से भी बढ़कर अपनी अदा है
प्यारी सी बहनिया बोझ हो गई है
बुढापे में मां बाप बोझ हो गए है
ना जाने यह कैसा जमाना आ रहा है
बाप बेटे का रिश्ता पहले जैसा ना रहा है

कवि कहना चाहते है कि हमें समाज के प्रति अपने आप में बदलाव लाना भी ज़रूरी है। आज हम देखें तो हमारे समाज में हमारे देश में कई तरह के बदलाव आ रहे हैं। पहले के जमाने में जहां लोग अपने मां बाप, भाई बहन, गुरु का मान सम्मान करते थे लेकिन आजकल के जमाने

SHIVOM CLASSES - WhatsApp for Notes (8696608541)

कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको इन रिश्तों की बिल्कुल भी परवाह नहीं रही है वह इनको नहीं मानते और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। समाज के मुद्दे आज हमको देखने को मिलते हैं हमने इस नए जमाने में भले ही बहुत सारे बदलाव महसूस किए हैं लेकिन हमें चाहिए कि हम इस तरह के बदलाव ना लाएं क्योंकि हमारे जीवन में हमारे रिश्ते नातों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है।

2. हाशियाई समाज एक व्यापक अवधारणा के रूप में हमारे सामने मौजूद है। हमारे शहर में हाशिए के समाज में दलित आदिवासी, स्त्रियाँ, किसान, मजदूर आदि की गणना की जाती है। जिनकी आबादी कुल आबादी की तीन चौथाई होती है। "संख्या के लिहाज से ज्यादा होते हुए भी उनका विकास नहीं हो पा रहा है। जबकि दूसरी तरफ संख्या की दृष्टि से कम होते हुए भी इस देश को चला रहे हैं। हमने उनकी पीड़ा को सहन करते हुए महसूस किया है जैसे :-

   हरिजन बस्ती में, मंदिर के पास एक कबीठ के धड़ पर, मटमैले छप्परों पर, कुहासों के भूतों पर लटके चूनर के चिथरे, अंगिया व घाघरे फटी हुई चाय अटक गयी जिनमें एक व्यभिचारी की टकटकी गंजे सिर, टेढ़े मुँह चाँद की ही कंजी आँख!

SHIVOM CLASSES 8696608541

SHIVOM CLASSES - WhatsApp for Notes (8696608541)